

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग।

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-परि0आ0 (कर माफी)-120/2020-2276 / राँची, दिनांक-20/4/2020

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश सं0-98/HSN दिनांक-22.03.2020 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0-40-3/2020-DMI(A), Dated-24.03.2020 के द्वारा झारखण्ड राज्य में कोरोना महामारी (Covid-19) के रोकथाम एवं प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पूर्णतया लॉकडाउन (Lockdown) घोषित किया गया तथा राज्य सरकार के आदेश से लॉकडाउन की अवधि को पुनः दिनांक-31.08.2020 तक विस्तारित की गई है। उक्त अवधि में राज्य के अंतर्राज्यीय तथा समस्त मंजिली वाहनों स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का परिचालन प्रभावित हुआ है।

राज्य में कोरोना महामारी (Covid-19) के कारण हुई लॉकडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 (1)-सह-पठित धारा-23 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन अवधि में अपरिचालित वाहनों के संबंध में निम्न प्रकार से झारखण्ड मार्ग कर भुगतान से छूट प्रदान की जाती है:-

1. झारखण्ड राज्य में निबंधित ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा का दिनांक-24.03.2020 से 31.05.2020 तक तथा भाड़े की टैक्सियों/कैब एवं कन्ट्रेक्ट कैरेज बसों के संबंध में दिनांक-24.03.2020 से 17.05.2020 तक की अवधि में भुगतेय झारखण्ड मार्ग कर की राशि।

2. झारखण्ड राज्य में निबंधित परमिटधारी मंजिली बसों एवं पारस्परिक समझौते वाले राज्यों से निर्गत परमिटधारी वैसे वाहनों जिनका पथकर दिनांक-24.03.2020 से देय था अथवा जिनका अनुग्रह अवधि (Grace Period) दिनांक-24.03.2020 को या उसके बाद समाप्त हो रही थी, का उक्त तिथि से झारखण्ड में लागू लॉकडाउन की अवधि में अव्यवहृत अंतर्राज्यीय तथा समस्त परमिटधारी मंजिली बसों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्ग कर भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

मार्ग कर छूट से आवृत्त वाहनों को चिन्हित कर वर्गीकरण का कार्य संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किये जाने के उपरांत NIC द्वारा वाहन Software में तदनुसार संशोधन किया जा सकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

20/4/2020
(क० रवि कुमार)
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक:-परि0आ0 (कर माफी)-120/2020-2276 / राँची, दिनांक-20/X/2020 /

प्रतिलिपि:- ई0 गजट नोडल पदाधिकारी, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक:-परि0आ0 (कर माफी)-120/2020-2276 / राँची, दिनांक-20/X/2020 /

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव परिवहन विभाग/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक:-परि0आ0 (कर माफी)-120/2020-2276 / राँची, दिनांक-20/X/2020 /

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/संयुक्त परिवहन आयुक्त/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड एवं सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग।